Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 15-05-2007

Participants : Dube Sh. Ramesh

>

Title: Shri Ramesh Dube took Oath in Marathi, signed the Roll of Members and took his seat in the House.

MR. SPEAKER: Secretary-General to call the name of the hon. Member for taking oath.

Shri Ramesh Dubey (Mirzapur)

MR. SPEAKER: Now, Question Hour. Q.No. 562. Shri Jyotiraditya Scindia.

… (*Interruptions*)

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Mr. Speaker Sir, it is very unfortunate. Farmers are being killed.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please take your seats. I will consider your proposal.

… (*Interruptions*)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Scheduled Caste women, children are being killed. We want a permanent solution.… (*Interruptions*) We cannot discriminate them.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: There is no question of discrimination. Do not impute motives, please. I have said that I will consider your proposal. You have come today while the incident happened on 14th March. Today you are asking me to do something. Off the cuff it cannot be done. I have said that I will consider your proposal.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Member, I am not objecting to your raising this matter. I am saying that an unfortunate, serious incident happened on 14th of March. A month-and-a-half, nearly two months have passed.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I am raising this issue because no decision has been taken till now.

MR. SPEAKER: It is because you were not kind enough to come and attend the House and urge it. [R1]

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have said that I will consider it.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Will you take your seats?

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I would earnestly appeal to you to please take your seat.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, will you allow me during 'Zero Hour'?… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Member, this is not 'Zero Hour'. Please wait. Have some patience. Let us have Question Hour now.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Other than questions, nothing else shall be recorded.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: You cannot just get up any time you like. This is not proper. You are a very senior Member. Nothing would be recorded except the answer to the question.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: There is a proper time for raising matters. You all know that. You are very senior Members. This is not the time.

* Not recorded

<u>11.06 hrs</u>

MR SPEAKER: Q. No. 562, Shri Jyotiraditya Scindia.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : While the Government is thinking of rolling out CAS in many metros, is it true that CAS is facing stiff competition from DTH? For example, in South Delhi alone out of six and a half cable homes, about one lakh cable homes have opted for the DTH system. Also Mr. Speaker, Sir, the after sales service with regard to CAS is very poor even in terms of TRAI recommendation of setting up of Call Centres those have not been set up. The Multi-Service Operators have installed very less number of cable head ends that have resulted in huge amount of congestion. Therefore, a lot of channels are going to the Free to Air system as opposed to the pay system because there is not enough subscription. So, I would like to ask the hon. Minister (a) are you facing a lot of competition from DTH; and (b) what are you doing to ameliorate the problems of consumers or with regard to after sales service and with regard to cable head ends being set up?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: First of all, I would like to inform the House that CAS is a great success of the UPA Government. As you know, it was planned during the tenure of NDA Government but it faced a lot of opposition for not having total transparency in the whole mechanism. Finally, on the direction of the court and on the dotted line, the UPA Government implemented the entire thing right from 31^{st} December, 2006 receiving tremendous support for the consumer-friendly arrangements of CAS.

Sir, it is true that in the first week there were some teething problems with regard to supply of Set Top Boxes. It was totally resolved within two weeks in January. Now, what the hon. Member has said is true that there is competition in the sense that the people who want to enjoy television

without the dependence on cable, they can go straightaway to DTH and the people who want to enjoy the television with pay TV fixed price choice with a minimum contribution, they can go for that. That flexibility is there. The problem just at the grass root is that the six MSOs are functioning in the beginning as the front runners while we gave licences to 26 MSOs. In this matter, TRAI is having a very serious engagement of talks with all the stake holders and that problem will also be addressed by the end of this month.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : As the Government is thinking of CAS in other parts of metro and other metros, there has been a lot of controversy that has been raked up with a lot of the Resident Welfare Associations and cable operators are saying that CAS should be voluntary and mandatory. So, I would like to ask two questions. Are we rolling out in other metros, if so, when? Is this going to be voluntary or mandatory as the RWAs and the cable operators have requested for?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: First of all, I would like to inform the hon. Member that the exact position stands as it is that our first objective is to complete the CAS operation in the three great metros, namely, Mumbai, Kolkata and Delhi because Chennai is fully completed. We have taken it up in a phased manner. This matter is being taken up by TRAI with the MSOs and the State Governments. The State Governments are very important because it is they whose cooperation is important for the nodal officers' operation. I am happy that by the end of June, we will be able to announce next three metros' complete operation. It would take six months. I expect by January 2008, all these metros to be fully geared up for the CAS operation.[R2]

So far as other cites are concerned, as per 2001 census, in important cities where more than one million population is there, we are thinking of implementing it after completing the metro cities of the country.

So far as making it voluntary is concerned, it is not good because whosoever is talking of voluntary option do not understand that it will give substantial control and dominance to those channels and those broadcasters who would compel the people again to take the bouquet and the bunch. Thus the people will lose their choicest pay channels which they like to enjoy at a minimum cost of Rs. 5. However, this matter is still under the discussion of TRAI.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, the initiative as regards the Conditional Access System has been launched since 2003. However, the statement reflects the poor penetration of STB. Common people are nurturing an apprehension that they will be deprived of the opportunity of viewing popular programmes on pay channels. There is also a trust deficit among the various stakeholders, namely, the broadcasters, the cable operators, the MSOs and the consumers. In view of this, whether the Government is pondering over any comprehensive policy so that penetration of CAS could be enhanced and secondly, as regards penetration in notified areas, Kolkata is registering a meagre penetration of only 6 lakhs. Already the hon. Minister has stated that the State-level Committees have been set up for rolling out the CAS smoothly. I want to know whether the State Government of West Bengal is loathe to set up the State-level Committee for the smooth roll-out of CAS.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, both the cities of Mumbai and Kolkata are partially covered by CAS. The second and third phases will be taken up, as I have stated just before, very

shortly taking the State Governments into confidence.

We have to take care of three things, namely, (a) whether the MSO efficiency level and the cable operators capacity to supply the Set Top Box are in order; (b) the consumers' application and response should be in order to decide the channels and their choice; and (c) at the end of the day, we have also to ensure that the overall monitoring and complaint registering system is upto the mark. Taking that part into account, we shall complete the penetration of Kolkata and Mumbai very shortly, as I have stated.

I would also like to inform you that there should not be any confusion regarding Set Top Box. When the idea of Set Top Box was conceived in 2003, it used to cost Rs. 5000 to Rs. 7000. Now, under the new policy, we have made it in such a way that if you straightaway purchase it, it would cost Rs. 1900 to RS. 2000. But to support the viewers with a reasonable plan, we have said to pay a security deposit of only Rs. 250 and Rs. 45 per month for the pay channels using the Set Top Box or Rs. 999 as a security deposit and only Rs. 30 per month so that it would give tremendous relief to them. And most of the viewers are following the same line. If somebody changes the location of residence and goes to some other place, he can return the Set Top Box, he will get the refund after the depreciation cost and he can choose another Set Top Box in the area where he would shift.

SHRI B. MAHTAB : Sir, is it a fact that the Set Top Box that is being used today becomes non-functional during rainy season specially when the disc is wet by rain drops? Is the Government thinking of having a better technology that would be weather-proof, whether Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal has instructed the Telecom Regulatory Authority of India to regulate the price of Conditional Access System and DTH and whether any assessment has been made by the Government about the benefit which the viewers are getting from CAS or not?[MSOffice3]

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: First of all, I should reply to his first part of the question. I would like to say that there are hardly any serious kinds of complaints about the CAS. The Set Top Box remain functional even during rainy season. On this account, our complaint level is very minimal. Yet, there is a mandatory direction that if a viewer is faced with some kind of technical problem in its operation, the authorities concerned should address the issue within two days. If they neglect it, the nodal officer could be contacted by the viewer and the nodal officer takes all mandatory steps that are required by the Cable Network Act.

In regard to availability of Set Top Boxes, there is no dearth of them. We are in a position to supply more than two lakh Set Top Boxes. If there is any further requirement of these Boxes when the second phase gets completed, that will also be fulfilled.

In regard to use of Set Top Boxes, the arrangement is so simple that it can be monitored by anyone in the home. Therefore, in these matters we are not facing any problem.

I should say that there is more demand to the Government and TRAI to give more CAS support to other parts of the cities.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Is there a demand from each State for extending the coverage of Conditional Access System to all the State Capitals? If not, which States have not been included in the System?

Mr. Speaker, Sir, through you, I would like to inform the hon. Minister that there is a feeling that liabilities outweigh the benefits for the viewers. If so, what steps does the Ministry propose to take to lessen the liabilities so that benefits outweigh the liabilities?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, as you know, for the first time in our country we have stabilized this concept of Conditional Access System, that too in phases. We have addressed the teething problems that we faced initially. Now, we are addressing the second part of the problem. That is, after installing the Set Top Box, the viewers' bills are not taken regularly and put in the system of the MSO. So, they are faced with the problem of getting the bills a little late and because of that they are faced with more burden. On that issue, the TRAI had already delivered a mechanism to the stake holders. I am told by the TRAI today, which is controlled by the Ministry of Communication, that on this issue, the MSOs will find a final solution by 15th of May. As and when I get the final report, I will come back to Parliament and report the latest progress. I would like to say that benefits are tremendous.

When the cellular mobile was introduced in this country, in the beginning, the cost was high. Now, it is so less that everyone can afford it. In the same way, I presume, the way in which the demand is increasing in every State, I think the cost of Set Top Box will also reduce. Now, it is done on zero duty import. We are proposing to the Ministry of Finance to allow the spares to be imported at zero duty so that our indigenous production can gain momentum and we can reduce the cost substantially than what it is now.

With regard to DTH, I would like to say that it is one mechanism by which television can reach homes in the remotest parts of India, without depending on the cable TV. DTH is making a breakthrough in this regard. Besides the DTH of Prasar Bharti, private operators are also offering DTH and they are penetrating into every State, where there are opportunities and support.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि वे जिस तरीके से अपने जवाब में कह रहे हैं कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के अंदर यह प्रयास बहुत अच्छा है, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट में श्रीमती सुामा जी ने इसकी शुरुआत की थी। शायद ऐसे अनचाहे चैनल्स, जो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे चैनल्स के ऊपर रोक लगे, इस दृटि से यह शुरु किया गया था। आपने कहा कि जो बॉक्सेस लगाए हैं, वे बड़े शहरों में हैं और अब कुछ अन्य छोटे-छोटे गांवों में भी उपलब्धता करवा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्िात करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जगहों पर भी आज के समय में टी.वी. और ऐसी चीजें पहुंच गई हैं। [rep4] ऐसे चैनल्स के माध्यम से जो बहुत गलत-सलत बता रहे हैं। उनके कारण हमारी संस्कृति पर, हमारे बच्चों पर और हमारे परिवारों के ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। उनके ऊपर रोक लगाने का एक तरीका था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सैट-टॉप बॉक्सेस की कमी है, उपलब्धता नहीं है, इसलिए 'कैस' आप केवल बड़े शहरों में ही लागू कर रहे हैं और बॉक्सेस केवल बड़े शहरों में ही दे रहे हैं। अगर मैं उन बड़े शहरों में, दिल्ली का ही उदाहरण दूं, तो मैं जिस जगह पर हूं, वहां सांसद के नाते मैं यह कह सकती हूं कि मैंने यदि कोई कनैक्शन लिया है, तो सैट-टॉप बॉक्स मेरे यहां भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि वे कहते हैं कि वह अ वेलेबल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, क्वैश्चन पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली में ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे अनुमान लगा सकती हूं कि और जगहों पर मिल रहा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब शहरों में भी उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है, तो जो गलत चैनल्स चल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति पर कुप्रभाव डाल रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कोई और कदम भी उठा रही है?

MR. SPEAKER: It does not arise out of CAS.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir it is not linked with the CAS. However, I would only like to inform through you, Sir, to the hon. Member जहां तक 'कैस' का सवाल है, दिल्ली के जिस इलाके में यह लागू हुआ है, उसमें अगर एक भी व्यूअर को शिकायत हो कि मुझे सैट-टॉप बॉक्स नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे 24 घंटे के अंदर मुहैय्या कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि 2 लाख से ज्यादा सैट-टॉप बॉक्सेस हमारे एम. एस. ओ. के हाथ में अभी भी मौजूद हैं, जबकि कल तक 7 लाख सैट-टॉप बॉक्सेस लोगों को मुहैय्या कराए जा चुके हैं। जहां तक गलत प्रभाव डालने वाले चैनल्स को रोकने का सवाल है, उसका, इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसे यदि लागू करें, तो यह तो आपके ऊपर है कि आप कौनसा चैनल देखना चाहते हैं। यह तो आप तय करेंगे कि आप कौन सा चैनल देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में आपकी मर्जी से चैनल आएगा। किसी से किसी प्रकार की कोई जबर्दस्ती नहीं है।

जहां तक संस्कृति पर कुप्रभाव डालने वाले चैनल्स पर अंकुश लगाने का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय में, आपने किसी भी चैनल पर, अंकुश लगाने के लिए कोई कठोर कदम नही उठाया, लेकिन हमारी सरकार के समय में, हमने दो चैनलों को ऐसा सबक सिखाया कि संस्कृति के बारे में उन्हें पता लग गया। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: All these cross-talks in the House should be stopped.

Q. 563- Shri Chandrakant Khaire – not present.

Shri Raghuveer Singh Koshal – not present.

Q. 564- Shri Kashiram Rana.

(Q.No. 564)

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का शेयर लगभग 40 परसेंट है और जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें लगभग 35 परसेंट लघु उद्योगों में बने माल का शेयर है। इन उद्योगों में लाखों लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, खास कर के एस.एस.आई. के लिए जो रिजर्व आइटम्स रखे थे, उनमें कुछ ऐसी कंडीशन्स हैं कि यदि कोई एम.एन.सी. अपने यहां बने कुल माल का 50 परसेंट एक्सपोर्ट करती है, तो वह लघु उद्योगों के लिए रिजर्व की गई आइटम को अपने उद्योग में बना सकती है। इसके कारण आज स्थिति यह हो गई है कि हमारे लघु उद्योग खत्म होते जा रहे हैं।

MR. SPEAKER: Hon. Member, the question relates to violations of the reservation policy.

SHRI KASHIRAM RANA : Sir, I am coming to the point.

MR. SPEAKER: Please come to the point. This is a Question Hour and not a debate.

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे सेमीस्किल्ड और अनस्किल्ड कामगारों को जो इन उद्योगों में रोजगार मिलता है, वे उद्योग आज खत्म होते जा रहे हैं। जहां तक वायलेशन का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो

मुझे जवाब दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक ऐसी एम.एन.सी. है जिसने रिजर्वेशन का वायलेशन किया है और माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में जो जवाब दिया है, उसकी मेरे पास कॉपी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वायलेशन के तीन केसेस हुए हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने ऐसा जवाब देकर हाउस को मिसगाईड किया है।

MR. SPEAKER: Shri Kashiram Rana, you are such a senior Member. Please ask your question.

SHRI KASHIRAM RANA : I am giving you the details in respect of three cases of violations. …(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: This is not the time for giving information but seeking information.

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ है। राज्य सभा में पूछे गए सवाल का यह जवाब है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जिन कंडीशन्स पर एम.एन.सी. को एस.एस.आई. के लिए रिजर्व आइटम को प्रोड्यूस करने या उसे उत्पादित करने की छूट दी है, उसे समाप्त करने की सोच रहे हैं? [r5][r6]

श्री महावीर प्रसाद **:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मल्टीनेशनल कम्पनी के वॉयलेशन के संदर्भ में प्रश्न किया है। इन्होंने तीन इंडस्ट्री के बारे में बताया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि र्वा 2005 से मेरे संज्ञान में आया है कि केवल एक कम्पनी जिसका उल्लेख मैंने इनको दिए गए उत्तर में भी किया है। मैंने इन्हें बहुराट्रीय कम्पनी के सन्दर्भ में पूछे गए प्र ाश्न के आधार पर जवाब दिया है। यदि कोई कम्पनी उत्पाद बनाना चाहती है तो डीआईआर एक्ट, 1951 के आधार पर इस प्रकार का नियम है कि 24 प्रतिशत उत्पादन का वह निर्यात करेगी। यदि कोई कम्पनी इस एक्ट का वॉयलेशन करती है तो हम उस पर कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इन को बंद किया जाएगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वॉयलेशन की जो भी सूचना आएगी, मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री काशीराम राणा : मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न किया था कि एमएनसीज़ को जो छूट दी गई है, क्या उसे समाप्त करेंगे या नहीं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे एसएसआई यूनिट्स जो रिजर्व आइटम में से उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार के आइटम्स का आयात विदेशों से बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे लघु उद्योगों को नुकसान हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर जो आइटम्स का आयात हो रहा है, उसे रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कोशिश की है?

अध्यक्ष महोदय : इसका ताल्लुक इस प्रश्न से नहीं है।

श्री काशीराम राणा : इस प्रश्न से ताल्लुक है।

अध्यक्ष महोदय : आपके जोर से बोलने से क्या ताल्लुक हो जाएगा?

श्री काशीराम राणा : महोदय, आपको तो प्रोटैक्शन देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रोटैक्शन दूंगा, यदि प्रश्न रैलेवेन्ट होगा। आप वॉयलेशन के बारे में पूछिए You are asking for change of policy.

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, आज लघु उद्योग खत्म हो रहा है और मैं यही जानना चाहता हूं कि लार्ज स्कैल पर जो आइटम्स का आयात हो रहा है, उसको क्या सरकार रोकेगी?

श्री महावीर प्रसाद **:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इससे हमारा लघु उद्योग समाप्त हो रहा है। उन्होंने खुद स् वीकार किया है कि पूरे उद्योग का 39 प्रतिशत लघु उद्योग उत्पादन कर रहे हैं और लगभग 34 प्रतिशत हम निर्यात कर रहे हैं।

यदि हम आंकड़े उठाकर देखें तो जब से आरक्षण लागू हुआ है, इस वक्त 114 उत्पादों को आरक्षित सूची में रखा गया है। आरक्षण को समाप्त करने के लिए हमारे यहां एक नियम है, उस नियम के आधार पर हम आरक्षित करते हैं। यदि कोई कम्पनी नियमों का उल्लंघन करती है, जिसकी जानकारी आपके पास है, उसके बारे में मुझे आप बताएं मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether the Government has instituted a monitoring committee to identify companies which have violated the reservation policy in respect of items reserved for SSIs by MNCs.

श्री महावीर प्रसाद : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर निगरानी समिति बनी हुई है। आरक्षण का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी के लिए हमने मैसर्स दलाल एण्ड कन्सल्टेंट को नियुक्त किया है, जिनके द्वारा हम सर्वेक्षण करते हैं कि कौन सी बड़ी कम्पनी नियमों का उल्लंघन कर रही है। इस प्रकार से स्टैक होल्डर्स, विशेाज्ञों और सैक्रेटरी लघु उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है जो निगरानी रखती है।

महोदय, आरक्षण नीति का उल्लंघन न हो, इसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं।

SHRI N.S.V. CHITTHAN : Thank you Mr. Speaker Sir. The small scale units play, as you know, a predominant role in the development of our economy. They supply parts as original equipments to big and large scale units and they have got employment potentialities also.

I would like to know, in order to safeguard, to protect and to further develop the small scale units, whether the Government has got any scheme or plan, under consideration, to reserve more items exclusively for small scale units. If so, what are they?

MR. SPEAKER: The question is with regard to violations. Is there anything for small scale units?

SHRI N.S.V. CHITTHAN : Sir, this is regarding reservation of items. It is definitely connected with the main question.

MR. SPEAKER: If the hon. Minister is willing to answer, I do not mind. Mr. Minister, do you wish to say anything? All right, question does not arise here.

श्री महावीर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास सूची है। आरक्षण का एक नियम है और उस आरक्षण कि नियम के आधार पर 1967 से अब तक 114 आरक्षित वस्तुओं की मदें हैं और जब-जब इस उदारीकरण, वैश्कवीकरण के युग को देखते हुए, डब्लू.टी.ओ. को देखते हुए आवश्यकता पड़ती है, तब-तब हम आरक्षण करते हैं। आरक्षण की प्रक्रिया लम्बी चलती है और उसके आधार पर हम वस्तुओं को आरक्षित करते हैं।

मोहम्मद सलीम : महोदय, आपने सही फरमाया कि यह जो सवाल है, आरक्षण सम्बन्धी उल्लंघन का जो मामला है और मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न का या पूरक प्रश्न का जो जवाब दिया, उससे स्पट नहीं होता है कि एक ही मामला तर्ज किया गया है। वह सुओ मोटो किया गया है या कैम्पेन के आधार पर किया गया है, उनकी जो मोनेटरिंग कमेटी है, उनके पास से है या जो लघु उद्योग की इफैक्टिड पार्टी है, उसने जाकर कोर्ट में अपील की और कोर्ट के निर्देश पर किया, यह स्पट नहीं हुआ।

MR. SPEAKER: Put your question.

मोहम्मद सलीम : मेरा यह कहना है कि यह केवल एक केस नहीं है। आज के जमाने में ये सही कह रहे हैं कि 49 प्रतिशत प्र ोडक्शन होता है और लघु उद्योग का निर्यात होता है, लेकिन ब्राण्ड की वजह से बड़ी-बड़ी कम्पनियां, मल्टीनेशनल कम्पनियां या

भारतीय मल्टीनेशनल कम्पनियां जो मार्केटिंग करते हैं, वह लघु उद्योग में बनता है, लेकिन उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उससे लघु उद्योग को कोई फायदा नहीं पहुंचता। आपको मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र में बैठकखाना बाजार में एक्सरसाइज़ कापी बनती है...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I do not know anything. I find your question is not relevant.

MD. SALIM : Sir, the exercise book is an item reserved under his protection, but the multinational company is marketing it under the brand and it is a violation. I would like to know what action has he taken.

MR. SPEAKER: No violation. Is it a violation, Mr. Minister?

श्री महावीर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मौ. सलीम जी ने अच्छा प्रश्न किया, लेकिन जो मेरे संज्ञान में केवल एक मल्टीनेशनल कम्पनी का ही आया है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: That is why, these questions have multiplied. Your questions are such. I am trying to protect you. You have already said that.

श्री महावीर प्रसाद : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरे पास केवल एक मल्टीनेशनल कम्पनी की सूचना है। सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे पास पूरे देश में डायरैक्टर्स नियुक्त किये गये हैं। वे सूचना देते हैं, उसके आधार पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। ये सीनियर मैम्बर हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Senior Members should be very articulate and put specific questions.

श्री महावीर प्रसाद : देश में एक मल्टीनेशनल कम्पनी के अलावा देश में और बड़ी कम्पनियां हैं, जो 10 की संख्या में हैं और उनके ऊपर हमने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि आप चाहेंगे तो पूरी कार्रवाई की जानकारी मैं आपके पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अलग बुलाकर बता दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय...

MR. SPEAKER: Sorry, go to your seat.

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के अधिकार क्षेत्र से बचाने के लिए इस देश में आरक्षण के कानून बने थे। इसको सन् 1967 में लागू किया गया, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। उसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन आज मोटे तौर पर मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह केवल एक बहुराट्रीय कम्पनी ऐसी मिली, जो इनके आदेशों का उल्लंघन करती है। वस्तुतः हम देखते हैं कि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है और जो मोनेटरिंग की पद्धति हमारे देश में बनाई गई, वह भ्रटाचार का शिकार होकर इसका निरन्तर उल्लंघन करती है और उससे नुकसान होता है। इसके पीछे कारण है कि ऐसी बहुराट्रीय कम्पनियां जो 24 से लेकर 36 फीसदी निर्यात कर सकती हैं, उनको लघु उद्योग के क्षेत्र के भी उत्पादों को बनाने की छूट है।[R7]

[b8]

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो भ्रटाचार का मूल है, उन कंपनियों को निर्यात के बहाने, लघु उद्योग क्षेत्र की चीजों को बनाने के बहाने को खत्म करने और निर्यात के बहाने उत्पाद के जो कानून हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश क्या भारत सरकार करेगी?

श्री महावीर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरे संज्ञान में जो सूचना है, मैं उस पर कार्यवाही कर रहा हूं। भ्रटाचार को मिटाने का उत्तरदायित्व उनका भी है और मेरा भी है। हमारी सरकार इसके प्रति सतर्क और सचेत है। अगर इस प्रकार की कोई भ्रटाचार मूलक कंपनी है, तो आप उसका उदाहरण दीजिए। मैं उसका जवाब दूंगा कि मैं उसके ऊपर क्रिमनल कार्यवाही करूंगा।

(Q.No. 565)

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL : Sir, it is very unfortunate that the hon. Minister has replied that the question does not arise. Textile industry is a very much important industry; it is employment-generating industry. There is a huge backlog of technology upgradation particularly in the context of the liberalization of the national industrial and trade policies and globalization of textile trade. In order to sustain and improve its competitiveness and overall long-term viability, it is essential for the textile industry to have an access to timely and adequate capital at internationally comparably rates of interest.

अध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन पूछिए।

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL : In order to upgrade its technology level, and to make available capital at the lower rate of interest which is comparable to the international rates of interest, what steps the Government is going to take?

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, जो प्रश्न आज आपने पूछा है, उसका जवाब मैंने कहा है कि " (a) No, Sir. (b) Does not arise." आपने जो पूछा, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि वही पांच प्रतिशत वाले रेट आफ इंटरेस्ट की सब्सिडी है, इंटरनेशनल कंपटीशन, विशेाकर चाइना को ध्यान में रखते हुए, हमने एक अच्छी स्कीम इंप्लीमेंट की है और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि तीन साल में इसका इतना अच्छा रिस्पांस है कि आज हमारी इंडस्ट्री काफी खुश है और इसके साथ ही जो प्रेशर था, इसीलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी बजट में इसके एक्सटेंशन के लिए हां कहा।

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL : The hon. Minister has himself admitted and has given a reply. Then, why not it is there in his answer sheet? That is the problem.

MR. SPEAKER: You have asked whether there is proposal for changes in the funding pattern. He said: "there is no change." That is what he said. That is the question.

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL : Sequences other than spinning, like processing the garments, manufacturing and made-up manufacturing should become major beneficiaries of the TUF Scheme in its second phase to increase the foreign exchange earnings and keep the employment alive. I would like to know from the hon. Minister as to what steps he is going to take.

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, यह स्कीम, स्टेप्स टेकेन स्कीम ही है। आपने जो कहा, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कंपोनेंट में हमने 7000 करोड़ रूपए दिए हैं, स्पिनिंग में 6500 करोड़ रूपए, प्रोसेसिंग में 2000 करोड़ रूपए और वीविंग में 16 सौ करोड़ रूपए डिस्बर्समेंट हुआ। तीन साल में 32 हजार करोड़ रूपए, पूरी स्कीम के लिए हमने सैंक्शन किए हैं। इसमें से तीन

साल में 21 हजार करोड़ का डिस्बर्समेंट हो चुका है। आउट आफ 21 हजार करोड़ में से 15-16 हजार करोड़ रूपए 3 साल में दिए हैं। जब हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, तो क्या स्पिनिंग वालों ने लाभ लिया है और इनको फिर से इसी रेट आफ इंट्रेस्ट पर देना है, कंस्ट्रक्टर्स बिल्डिंग बनाते हैं, कंपाउंड वॉल बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, वह भी इसमें इन्क्ल्यूड करना है। प्लानिंग कमीशन की सूचना के हिसाब से पूरी स्कीम को आने वाले दिनों में हम रिव्यू करने जा रहे हैं कि इतने प्रेशर के बावजूद उन्हें यही लाभ मिले और इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खरे उतरें। स्कीम का लाभ ज्यादा लोगों को मिले, इसलिए प्लानिंग कमीशन के साथ बैठकर आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज के लोगों से सजेशन्स लेकर जो नया फार्मूला बनेगा, हम वह रखेंगे। आज वह समय नहीं है। [b9]

[N10]

अध्यक्ष महोदय : श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव - उपस्थित नहीं।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछना चाहता हूं, उसका पार्टली जवाब मंत्री जी ने अभी दिया है। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार में आदरणीय काशीराम राणा जी मंत्री थे, तब 25 हजार करोड़ रुपये की कपड़ा मिलों की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड की स्कीम की योजना जाहिर की गई थी। मैं अहमदाबाद से आता हूं जो एक जमाने में मैनचैस्टर कहा जाता था। देशभर में सबसे ज्यादा कपड़ा मिलें अहमदाबाद में हैं। देश के हजारों, लाखों लोग कपड़ा मिलों पर निर्भर हैं। अगर हमारे देश की पहचान ही मर जाएगी तो कपड़ा मिलों में काम करने वाले लाखों लोग कई सालों से बेकार हो गए हैं और हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि सन् 2002 में आपने जो 25 हजार करोड़ रुपये की योजना घोति की थी, उसके अंतर्गत कितने राज्यों की कितनी मिलों को, विशेाकर अहमदाबाद में धनराशि दी गई है? जिन मिलों ने आवेदन पत्र दिया है कि वे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उन्हें धनराशि कब तक देंगे?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, 25 हजार करोड़ रुपये नहीं, 31 हजार करोड़ रुपये मैंने बताए। तीन साल में 50 प्रतिशत से ज्यादा यानी 16 हजार करोड़ रुपये, इसका सबसे ज्यादा लाभ तमिलनाडु ने लिया यानी 6,200 करोड़ रुपये, महाराट्र का 4,600 करोड़ रुपये, पंजाब का 2,600 करोड़ रुपये और गुजरात का नम्बर चौथा है - 2,300 करोड़ रुपये। मिलवाइज लिस्ट बहुत लम्बी है जिसे मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पौंस रहा है, एक बैच है जिसमें तमिलनाडु, महाराट्र, पंजाब और गुजरात ने काफी अच्छा लाभ लिया है और आने वाले दिनों में उन्हें यह लाभ मिलता रहेगा। अगले हफ्ते या मई के अंत तक इसके 911 करोड़ रुपये जो बाकी है, उसमें से 600, 700 करोड़ रुपये देने की संभावना है।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, textile industry is the most traditional industry of the country from the point of view of employment and from the point of view of generation of wealth. West Bengal is one of the States where the jute industry, as a part of the textile industry, was born. It is to be appreciated that you have a Rs. 25,000 crore Fund and later on a Rs.32,000 crore Fund. But the question that remains is this. Despite the funding or the projected funding that you are speaking of in the country, there is sickness in the textile and jute industries, and the sickness arises out of no great technology that is being resorted to and the production per unit cost is high.

Therefore, I would like to know whether you monitor that the fund that you advance to them as a soft loan is properly used and also whether there is any monitoring system because there is always a complaint about diversion of fund. What about the West Bengal development?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मौनीटरिंग सिस्टम है। टेक्सटाइल और जूट का ज्यादा लाभ लेने वाले चार राज्य मेन हैं। मैं आपको बंगाल की फिगर्स भेज दूंगा। आप जो मॉडर्नाइजेशन की बात कह रहे हैं, एनटीसी और जूट की सिक मिलों का प्रश्न अलग है। इसका बहुत लाभ लिया गया है और आने वाले दिनों में भी लोग इसका लाभ लेंगे। हम इन्वैस्टमैंट के हिसाब से कह सकते हैं कि इससे 25 लाख लोगों को नई इम्प्लॉयमैंट मिली होगी यानी यह investment earning more foreign exchange and giving more employment. यह काफी अच्छी स्कीम है। लोगों ने इंटरनेशनल कम्पीटिशन के हिसाब से

इसे किया है। यह ठीक है कि वैस्ट बंगाल में कॉटन कम है, जूट ज्यादा है। वहां काफी जूट इंडस्ट्रीज सिक हैं। इस बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, यह आपको मालूम है। मैं समझता हूं कि वैस्ट बंगाल में एसएसआई में 36 केसेज हैं, नान-एसएसआई में 48 केसेज हैं और वैस्ट बंगाल को 421 करोड़ रुपये दिए गए हैं।[N11]

MR. SPEAKER: Now, Mr. Rijiju.

Do you have any textile mill in your area?

श्री कीरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में यह बात नहीं कही लेकिन उन्होंने अपने ओरल जवाब में कहा है कि 25 हजार करोड़ रुपये से 31 हजार करोड़ रुपये का अपग्रेडेशन किया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत में हमारा ट्रेडीशनल मैथेड, ट्रेडीशनल प्रैक्टिस रही है। हम माडर्न टैक्नोलॉजी के जरिये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ ट्रेडीशनल मैथेड है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अपग्रेडेशन के लिए आपने उसे ज्यादा माडर्न रिक्वायरमैंट के साथ जोड़कर कौन-कौन से कदम उठाये हैं क्योंकि रूरल एरिया में हम अभी भी अपने मैथेड को अपनाते हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, ट्रेडीशनल में हैंडलूम आता है। हैंडलूम के लिए हमने 20 कलस्टर सैंक्शन किये हैं। एक कलस्टर के पीछे हम दो करोड़ रुपये देते हैं। हैंडलूम को हमने कलस्टर के नीचे, टफ्स (TUFS) के नीचे इनक्लूड किया है। अब ट्रेडीशनल और माडर्नाइजेशन का बहुत फर्क है क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये इन्वेस्ट होते है। हैंडलूम वाली पुरानी टेक्नोलॉजी में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। इसमें एक कलस्टर के पीछे दो करोड़ रुपये आते हैं जबकि हमने 20 कलस्टर सैंक्शन किये हैं।

(Q.No. 566)

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो भाग थे। पहला, विभिन्न राज्यों में नक्सलियों के कितने प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वे कहां-कहां चल रहे हैं? दूसरा, क्या इनका लिट्टे, उल्फा और जम्मू-कश्मीर के आंतकवादियों से संबंध है? माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह संभावनाओं पर आधारित है। इन्होंने कहा है -- "यद्यपि इस संबंध में कोई ि वशिट ब्यौरा देना संभव नहीं है, फिर भी यह जाना जाता है कि निर्जन और अगम्य स्थानों पर अपने संवर्गों को नक्सली प्रशिक्षण देते हैं। सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि इनके अलगाववादी संगठनों से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन विभिन्न ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि इनकी सांठ-गांठ हो सकती है।" मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके पास जब इतना खुफिया तंत्र है तब इनको यह जानकारी नहीं है कि कहां प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, किन अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों से उनके संबंध हैं, तो घटना घटने के पूर्व ये कौन सी कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी को अपना जवाब जिम्मेदारी से देना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन् नैक्सलाइट के ट्रेनिंग कैम्प पुलिस के ट्रेनिंग कैम्पों, जैसे हैदराबाद, दिल्ली या मुम्बई में होते हैं वैसे नहीं होते। नैक्सलाइट के ट्रेनिंग कैम्प पहाड़ी और झाड़ी वाले इलाकों में होते हैं। वे आज एक जगह होते हैं, तो कल दूसरी जगह होते हैं और परसों तीसरी जगह होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था नैक्सलाइट की तरफ से की गयी है। उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमैंट को है और स्टेट गवर्नमैंट ने वह जानकारी हमें दी है। हमें इंटेलीजैंस डिपार्टमैंट के लोगों से भी जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, यदि आप वे आंकड़े मांगेंगे, तो वह मैं अभी आपको दे सकता हूं। मगर हैदराबाद में जैसे पुलिस का ट्रेनिंग कैम्प चल रहा है वैसा नैक्सलाइट का कैम्प कहां पर चल रहा है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। इसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि हम आज से न कहकर 1980 से कहते आ रहे हैं कि अलग-अलग जगहों पर टैरोरिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं। अलग-अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। वे एक-दूसरे को मदद करने की बात करते हैं। मगर जैसा एग्रीमैंट दो देशों के बीच होता है और साइन होता है वैसा एग्रीमैंट उनके अंदर नहीं होता। वे समझदारी से काम करते हैं। हमने आपको जो उत्तर दिया है, वह इस दृटि को ध्यान में रखकर दिया है। निश्चित रूप से कहां पर ट्रेनिंग कैम्प चल रहा है, निश्चित रूप से एग्रीमैंट क्या साइन किया हुआ है, उसकी हमें जानकारी नहीं है। मगर उनके आपस में संबंध हैं। वे एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और उनके ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमैंट को हम बार-बार बताते हैं कि उनके ट्रेनिंग कैम्प यहां चल रहे हैं इसलिए आपको वहां एक्शन लेना है। यही हमारे जवाब का मतलब है।[MSOffice12]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय गृहमंत्री जी स्पट लिखते तो ऐसा मतलब नहीं निकाला जाता।

ये जितने भी मानवाधिकारवादी संगठन हैं, वे अपरोक्ष रूप से नक्सलवादी आन्दोलनों को समर्थन देते हैं और अब तो स्थिति और भी भयावह हो गयी है कि पुलिस एवं अर्धसैनिक बल एनकाउण्टर करने से भी डरेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पुलिस के मनोबल को तोड़कर आप नक्सलवादी-आतंकवादी संगठनों से निपट पाएंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, माननीय सदस्य ने यह एक बहुत अच्छी बात सामने रखी है कि जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके मन में आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए स्पट रूप से एक नीति भी है। जहां पर कोई झगड़ा होता है, वहां वे उपस्थित होते हैं, जब पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती है और उसमें कोई मारा जाता है तो वह बिना वजह मारा गया यह भी कहते हैं। फिर ह्युमन राइट्स का वायलेशन हुआ, वे लोग ऐसा भी कहते हैं और उसके बारे में प्रचार करते हैं। यह बात सही है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। इस परिस्थिति में जो सत्य है, उसे सामने लाना जरूरी है। मगर सरकार होने के नाते, एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते, हमें यह देखना जरूरी है कि किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या न हो, यह भी देखना जरूरी है कि ह्युमन राइट्स का वायलेशन न हो, यह देखना भी जरूरी है कि इस प्रकार की कार्यवाही में किसी निरपराध व्यक्ति को हानि न हो। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर, अपनी नीति बनाकर इस समस्या को हल करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाता है, मगर जब वह प्रयास होता है तो कभी-कभी ह्युमन राइट्स की तरफ से टिप्पणियां होती है, कभी-कभी पुलिस के मोराल पर भी असर पड़ता है, इसलिए उस तरफ से भी टिप्पणियां होती हैं। दोनों में कुछ सत्य है, लेकिन दोनों ही में पूरा सत्य नहीं है, जो सत्य है उसके लिए हमको नीति बनाकर काम करना है। आपने जो बातें कही हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि "Government is also aware of reports, from time to time, suggesting possible links between the Naxalites and other terrorist and secessionist outfits…" क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका है - कोण्टा, दोरनापाल, जगदलपुर और बस्तर। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से लगे हुए महाराट्र के चन्द्रपुर और गडचिरौली इलाके हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से लगा हुआ बिहार का डेहरी-आनसोल और डाल्टनगंज इलाका है, इन सभी इलाकों में एक साथ अलग-अलग ग्रुप्स में नक्सल वादी गतिविधियां इन दिनों में काफी तीव्र हुई हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से बस्तर इलाके में घटनाएं हुईं और जिस तरह से नक्सलवादियों ने वहां एक समानान्तर सरकार की व्यवस्था कर रखी है, उसकी जानकारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को है। आपने एक संयुक्त दल इस दृटि से बनाया है कि उन पर कार्यवाही की जाए। उसके बाद भी यदि वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं, वहां के निवासियों पर बार-बार हमले होते रहें तो सरकार केवल यह कहे कि हमने राज्य सरकार को सहायता देने का प्रबन्ध किया है, उसे आधुनिक शस्त्र वगैरह दे रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि यह केवल राज्य सरकार का विाय न होकर यह देश की शांति और सुरक्षा का विाय है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसके लिए कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रही है? क्या संयुक्त कमान की गतिविधियों को और तेज करेंगे ?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा नक्सलवादी गतिविधियां छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। उनकी संख्या बढ़कर 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तक हो गयी है। इंसीडेंट्स की संख्या 40 प्रतिशत तक और मृत्यु की संख्या 60 प्रतिशत हो गयी है। अगर छत्तीसगढ़ की इस संख्या को अलग रखा जाए तो अन्य सभी राज्यों में नक्सलवादी गति

वधियों की संख्या में कमी नजर आती है। छत्तीसगढ़ की सरकार की, उनके कहने के मुताबिक, हमने मदद की है। आपकी मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा पैरा-मिलिटरी फोर्सेज हमने छत्तीसगढ़ को दी हैं। दूसरे राज्यों को चार, तीन या एक-एक बटालियन्स दी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को हमने 13 बटालियन्स दी हैं। इसका मतलब यह होता है कि हमने उनको 13,000 लोगों की मदद दी है।[R13] [R14]इतना ही नहीं है, उस काम के लिए हमने उन्हें सबसे ज्यादा 14-15 के करीब आर्म्ड व्हिकल्स दिए हैं। इसके अलावा उनके सलाहकारों के कहने पर यूएवी नामक ऐसा यंत्र दिया है जिससे आसानी से देखा जा सकता है कि कौन कहां पर जा रहा है, खासतौर से यह यंत्र सिर्फ मिलिटरी के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी जो वे मांगते हैं, हम देते हैं। अगर हैलिकॉप्टर मांगते हैं तो वह भी नागालैंड से भेजा है तथा और बटालियन भी दी हैं। हम यहां से मालूमात देते हैं, फौज देते हैं, सामान देते हैं, पैसा देते हैं और नैतिक बल भी देते हैं, कभी उन पर टीका नहीं करते। लेकिन इसके बाद भी बदकिस्मती है कि इतना कुछ होने पर भी वे अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। इसलिए यहां कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें वहां जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन वह नहीं दी जाती, क्योंकि यह राज्य सरकार का विाय है, स्टेट की एक्सक्लूसिव रिस्पाँसिबिलिटी है। इतना होने पर भी हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है और कहा जाता है, जबकि हम और वे अलग नहीं हैं। लेकिन उन्हें बचाने के लिए हम पर वार करना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ आपका है, उस पर आपको काम करना है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please keep silence in the House.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : It is an important Question. Let him ask the supplementary.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : You ask a Question and if the hon. Minister answers then you take objection.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

चौधरी लाल सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : All of you are aware there is a procedure. If you have anything to do, there is a procedure. Do not do this.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Nothing will be recorded except the speech of Chaudhary Lal Singh. Do not record anything.

*(Interruptions)**

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर में ऐसा सुनने में आया है कि मोहोर के अपर रिजेज पर और डूडू बसंतगढ़ के अपर एरिया तथा नील, पांगेल परिस्तान में ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं। इसके साथ ही कई कैम्प पीओके में भी चल रहे हैं।

---

* Not recorded

MR. SPEAKER : Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Nothing will be recorded except the speech of Chaudhary Lal Singh.

(Interruptions) *

चौधरी लाल सिंह : इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार अपने एरिया में जो इस तरह के कैम्प चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कर रही है और मैंने जिन जगहों का उल्लेख किया है, क्या सरकार को उसकी जानकारी है, अगर है तो उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? …(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Do not record one word except what Chaudhary Lal Singh says.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER : Do not record anything.

*(Interruptions)**

चौधरी लाल सिंह : केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार के फेल्योर होने तक ही न बैठी रहे।

MR. SPEAKER : He has answered it.

चौधरी लाल सिंह : अगर राज्य सरकार आतंकवाद या उग्रवाद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और आपके द्वारा दी गई सहायता से भी वह अपने मकसद में फेल हो जाती है तो क्या केन्द्र सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वह देश हित को देखते हुए उस बारे में कोई कानून बनाने की सोचे?…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : You have to change the Constitution.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : What is this?

… (*Interruptions*)

श्री शिवराज वि. पाटील : यह बात सही है कि यह जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार पर छोड़ कर केन्द्र सरकार, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं कहने जा रही है…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और बात कह रहे थे।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाएं, इस तरह से रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप मंत्री जी को भी तो कहें।

* Not recorded

अध्यक्ष महोदय: जब जरूरत होती है, हम मंत्री जी को भी कहते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी राज्य सरकार को न तो सदन में और न बाहर दोा देने का काम किया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अभी-अभी तो किया था।...(व्यवधान) [R15][R16]

श्री शिवराज वि. पाटील : मगर अपना कर्तव्य नहीं निभाते हुए केन्द्रीय सरकार को जब जिम्मेदार कहा जाता है तो उसका उत्तर देना ही पड़ेगा।